



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 215 राँची, गुरुवार,

8 मई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 अप्रैल, 2025

संख्या-5/आरोप-1-30/2023 का.--30028 (HRMS)--श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या- 21637(HRMS), दिनांक- 14.06.2024 के द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को निर्धारित किया गया ।

2. उपर्युक्त आरोप के लिए श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया। विभाग स्तर पर आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया:-

(क) विभागीय अधिसूचना संख्या- 6012, दिनांक- 23.09.2021 द्वारा श्री प्रभात कुमार को भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया है। परन्तु श्री कुमार द्वारा उक्त पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया है। श्री कुमार का उक्त आचरण उनकी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी आदेश की अवहेलना है ।

(ख) श्री कुमार का उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के प्रतिकूल है।

3. विभागीय पत्रांक- 3632, दिनांक- 26.06.2023 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप के लिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

4. श्री कुमार को भेजे गये विभागीय पत्रांक-3632, दिनांक- 26.06.2023 को वापस विभाग को लौट गया एवं श्री कुमार के द्वारा निलंबन अवधि के लिए निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रेस विज्ञप्ति ज्ञापांक-5791, दिनांक- 18.10.2023 के माध्यम से श्री कुमार को निर्धारित मुख्यालय में सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के अंदर योगदान करने करने का निदेश दिया गया। साथ ही श्री कुमार को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में उपस्थित होकर आरोप पत्र प्राप्त कर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

श्री कुमार के द्वारा न तो निर्धारित मुख्यालय में योगदान दिया गया और न ही विभाग से आरोप पत्र प्राप्त कर अपना स्पष्टीकरण ही दिया गया।

5. विभागीय पत्रांक- 3795, दिनांक- 04.06.2024 के द्वारा श्री कुमार के स्थायी पते पर पत्र भेजकर उनसे स्पष्टीकरण समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

6. श्री प्रभात कुमार के द्वारा आवेदन दिनांक- 25.09.2024 के माध्यम से निर्धारित मुख्यालय में दिनांक-25.09.2024 को योगदान करने की सूचना तथा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग में समर्पित किया गया। श्री प्रभात कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में समर्पित मुख्य तथ्य निम्नवत् है:-

(क) अधिसूचना संख्या- 2705, दिनांक- 18.06.2021 के आलोक में मैंने अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के पद से दिनांक- 22.06.2021 को विरमित होकर दिनांक- 28.06.2021 के पूर्वाहन से दिनांक- 23.09.2021 तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रतीक्षारत था।

(ख) विभागीय अधिसूचना संख्या- 6012, दिनांक- 23.09.2021 द्वारा मेरी पदस्थापना भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर की गयी। पूर्व से ही अस्वस्थता के कारण, मेरे वृद्ध माता-पिता को बेहतर चिकित्सीय इलाज हेतु स्थानीय एवं राज्य से बाहर ले जाना पड़ा, जिसके कारण मैं ससमय अधिसूचित पद पर योगदान करने में असमर्थ रहा। इसकी सूचना मैंने ससमय सामान्य डाक द्वारा विभाग को दे दिया था।

(ग) माता-पिता के वृद्धावस्था में मानसिक एवं शारीरिक कमजोरी तथा चिकित्सा अवधि के दौरान विभिन्न Complication के कारण बहुत लंबे समय तक दोनों इलाजरत रहे। इलाज के दौरान चूंकि मेरे माता-पिता के साथ मैं हमेशा साथ रहा, इसलिए मैं भी मानसिक एवं शारीरिक रूप से उनसे जुड़ा था, जिसके कारण लंबे समय तक अधिसूचित पद पर योगदान नहीं कर सका था। माता-पिता के बेहतर इलाज एवं देखभाल के लिए एवं मेरे सिवा कोई और पारिवारिक सदस्य नहीं होने के कारण, मुझे उनके साथ रहना अत्यन्त आवश्यक रहा। उनसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से शामिल/उलझे रहने के फलस्वरूप मैं भी कुछ अवधि के लिए अस्वस्थ था। इसी बीच दिनांक- 30.05.2023 को मैंने अधिसूचित पद भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर दिनांक- 30.05.2023 के पूर्वाहन में

योगदान करने हेतु उपायुक्त, जामताड़ा के समक्ष प्रार्थना किया था, जिसे उपायुक्त, जामताड़ा ने अपने पत्रांक- 230/गो0, दिनांक- 31.05.2023 द्वारा कार्मिक विभाग को भेज दिया गया।

(घ) इसी बीच कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3795, दिनांक- 04.06.2024 द्वारा मुझे निलंबन अवधि दौरान प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची मुख्यालय में योगदान करने तथा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(ङ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3795, दिनांक- 04.06.2024 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में मैंने दिनांक- 25.09.2024 पूर्वाह्न को निर्धारित मुख्यालय में योगदान कर लिया हूँ।

(च) उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि मेरे माता पिता के चिकित्सीय इलाज एवं देखभाल में बिताई गयी लंबी अवधि में चूंकि मानसिक और शारीरिक रूप से मैं भी उलझा/शामिल रहा, इसलिए मैं चाहकर भी आपके आदेश का पालन नहीं कर सका। उल्लेखित कारणों से ही मैं अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहा था तथा मेरी मंशा कतई सरकारी आदेश की अवहेलना की नहीं है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसका मैं विशेष ध्यान रखूँगा।

उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में श्री प्रभात कुमार के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

7. श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षा में पाया गया कि-

(क) श्री कुमार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या- 6012, दिनांक- 23.09.2021 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरांत अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया। श्री प्रभात कुमार के द्वारा इस संबंध में कार्मिक विभाग को अवगत कराने का उल्लेख किया गया है, परन्तु उसके समर्थन में कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। यदि उनके माता पिता का तबीयत खराब था तो भी इस संबंध में उपायुक्त, जामताड़ा एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को अवगत कराते हुए अवकाश स्वीकृति हेतु ससमय आवेदन किया जाना चाहिए था, परन्तु इस संबंध में कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही इतने लम्बी अवधि तक समाहर्ता से अनुपस्थित रहने एवं निलंबन के उपरांत निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं करने के संबंध में माता पिता के चिकित्सीय कारणों के अलावा कोई ठोस तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। यदि उन्हें अवकाश की आवश्यकता थी तो उन्हें अधिसूचित पद पर योगदान करने के उपरांत उचित माध्यम से समक्ष प्राधिकार के समक्ष अवकाश हेतु आवेदन समर्पित किया जाना चाहिए था, जो आपके द्वारा नहीं किया गया।

(ख) श्री कुमार द्वारा अधिसूचित पद पर बगैर योगदान समर्पित किये दिनांक- 24.09.2021 से 31.03.2023 तक की अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

(ग) उपरोक्त से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्री कुमार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या- 6012, दिनांक- 23.09.2021 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरांत अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करना तथा निलंबन के उपरांत निर्धारित मुख्यालय में

ससमय योगदान नहीं करना, आपके अनुशासनहीनता, स्वेच्छताचारिता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है ।

9. श्री कुमार के द्वारा निर्धारित मुख्यालय में योगदान करने एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत श्री कुमार को निलंबन मुक्त करने एवं श्री कुमार के विरुद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा करने संबंधित प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

तदोपरांत उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 28680(HRMS), दिनांक- 16.12.2024 के द्वारा श्री प्रभात कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया। साथ ही विभागीय पत्रांक- 8109, दिनांक- 16.12.2024 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रस्तावित निन्दन का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी ।

10. विभागीय पत्रांक- 8109, दिनांक-16.12.2024 के क्रम में श्री कुमार के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब दिनांक- 17.02.2025 को समर्पित किया गया है ।

11. श्री प्रभात कुमार के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब में उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों के अनुरूप ही माता पिता के अस्वस्थता एवं इलाजरत रहने का उल्लेख किया गया, जिसके कारण उनके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं दिये। इसके अतिरिक्त श्री कुमार के द्वारा कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किया गया है। श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण में समर्पित तथ्यों को पुनः अंकित किया गया, जिसपर पूर्व में विचार किया जा चुका है। श्री कुमार के द्वारा निलंबन के उपरांत निर्धारित मुख्यालय 'प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची में भी ससमय योगदान नहीं करने के संबंध में कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री कुमार के द्वारा अपनी परेशानी से भी विभाग को ससमय अवगत कराने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

13. अतः समीक्षोपरांत श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-754/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
	PRABHAT KUMAR JHK/JAS/103	श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: PTS/VET/646
